संख्या-2/2026-वे0आ0-1-159/दस-2026-8(एम)/2016

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक, (बेसिक/माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2026**

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2026 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या-7/2025-वे0आ0-1-352/दस-2025-8(एम)/2016, दिनांक 17.10.2025
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/1(1)/2026-ई.II(बी), दिनांक 22.04.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/1(1)/2026-ई.II(बी), दिनांक 22.04.2026 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2026	60 प्रतिशत

2. उपर्युक्त क्रमांक-1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 17.10.2025 के क्रम में राज्यपाल महोदया प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01-01-2026 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करती हैं :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2026	60 प्रतिशत

3. इस आदेश द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2026 से देय धनराशि का भुगतान माह मई, 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा।

4. इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2026 से दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023, दिनांक 21-03-2023 में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जायेगी। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01 मई, 2027 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं हैं, तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्रोविडेन्ट फन्ड (पी0पी0एफ0) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में प्रदान की जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नकद दी जायेगी।

5. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2026 से दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक की अवशेष राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। उक्त अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पब्लिक प्रोविडेन्ट फन्ड (पी0पी0एफ0) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में प्रदान की जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नकद दी जायेगी।

6. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2026 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 एवं शासनादेश संख्या-4/2017-वे0आ0-1-361/दस-2018-8(एम)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-4, 5, 6 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2026-वे0आ0-1-159(1)/दस-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ व्लाक, नई दिल्ली-110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, प्रयागराज।
(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)
(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3,आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।